





प्रस्तावना

इस पुस्तिका का मुख्य उद्देश्य किसानों के खातों, रकमों, लगान, तकावी, आदि का पूरा-पूरा हिसाब रखना है। इसमें किसानों के सहकारी और व्यवसायिक बैंकों द्वारा दिये गये कर्ज और उनकी वसूली का भी पूरा-पूरा लेखा-जोखा रखा जाता है। मतलब यह है कि किसानों के हिसाब-किताब पूरे रहें और उन्हें सरकार या बैंकों से कर्ज लेने में कोई दिक्कत न हो।

अतः यह जरूरी है कि इस पुस्तिका के लेख नवीनतम रहें। किसान को भी चाहिए कि वे हमेशा इस पुस्तिका में नवीनतम अभिलेख कराते रहें इसे सम्हाल कर रखा जाना चाहिये, क्योंकि इसके खो जाने पर फिर तमाम दफ्तों और बैंकों से रिकार्ड पूरा करवाने में बड़ी कठिनाई होगी।

किसानों के साथ-साथ बैंकों, दफ्तों, सहकारी संस्थाओं का यह फर्ज है कि वे इस किताब के रिकार्ड को पूरा करने में जरा भी देरी करें और सारी प्रविष्टियां तुरन्त की जायें। इस संबंध में अगर कोई दिक्कत हो तो कार्यवाही की जायें। किसानों को तहसीलदार, अनुविभागी अधिकारी और जरूरत पड़ने पर कलेक्टर से शिकायत करें। इन किताबों के रिकार्डों को पूरा करने में जो भी कर्मचारी सुस्ती, लापरवाही या बदनियत बरतेंगे उनके खिलाफ बड़ी कार्यवाही की जायेगी।

M पुस्तिका क्रमांक

197837

कृषक का नाम **चौहान ऐजुकेशन सोसाइटी पं.सं. 66544**  
**कल्याण संदीप चौहान श्री. रामपाल सिंह**  
 पिता/पति का नाम **एम. लाल सिंह साहिब अली आ. सैयद**  
**शाहिब अली नि. भोयड**

ग्राम **ओवेइलसगंज** पटवारी हल्का नं. **८**

राजस्व निरीक्षक मंडल **प ओवेइलसगंज** विकास खण्ड **ओवेइलसगंज**

तहसील **ओवेइलसगंज** जिला **रायसेन**

कृषक के हस्ताक्षर या अंगूठे की निशानी का स्थान

१-भू-अभिलेख

कृषक एवं शामिल शरीक **१- चौहान ऐजुकेशन सोसाइटी**  
 खातेदारों के नाम **२-**  
**३-**

खाता नंबर  
 भूमि पर हक का प्रकार (भू-स्वामी/  
 मौरूसी/शासकीय पट्टेदार)

क्रमांक (1)	खसरा नंबर (2)	रकबा (3)	लगान (4)	अब्जाब (5)	रकबा	
					कास्त में (6)	पडत (7)
9	230 2 2 7	0.52969	-	-	0.52	-

सिंचित (8.वा (8)	सिंचाई का स्रोत (कुआं, नाहर, तालाब, नदी) (9)	यदि खसरा नं. पट्टे पर है, तो मौरूसी/पट्टेदार का नाम (10)	अन्य विवरण (11)

*(Handwritten signature)*

*(Handwritten signature)*